कार्यालय–जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, चित्रकूट।

पत्रांक– /जि0आ0अ0/चित्रकूट/दे0श0दु0–रसिन/2020–21/दिनांक– 01/07/2021

आबकारी दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने हेतु

।। विज्ञप्ति ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी के पत्र संख्या–1042/जि0आ0अ0/ चित्रकूट/दे0श0दु0/2020–21/दिनांक–30.06.2021 के द्वारा जनपद चित्रकूट की देशी शराब दुकान रसिन को निरस्त कर दिया गया है। उक्त दुकान को दैनिक आधार पर (दिनांक 02.07.2021 से 15.07.2021 तक) 14 दिनों कि अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक इसमें से जो भी पहले हो, के लिये होगी। उक्त दुकान को टेण्डर/आफर द्वारा दैनिक आधार पर व्यवस्थित किया जाना है। जिसके लिये दिनांक 02.07.2021 को प्रातः 11:00 बजे तक टेण्डर/ऑफर आंमत्रित किये जाते है। दिनांक 02.07.2021 को समस्त आवेदकों की उपस्थिति में टेण्टर/ऑफर समय अपरान्ह 12:00 बजे खोले जायेगें। सर्वोच्च ऑफर(एम.जी.क्यू.) प्रस्तुत करने वाले आवेदक को दुकान का आंबटन किया जायेगा। दुकान का विवरण निम्नप्रकार है–

।। देशी शराब ।।

क्र0 सं0	दुकान का नाम	शाप आई0डी0	प्रास्थिति	निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	दैनिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	दैनिक बेसिक लाईसेंस फीस (रू0 में)
1	2	3	4	5		7
1	रसिन	6764	ग्रामीण	30360	83.20 BL	2954.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/विवरण जनपद–चित्रकूट एन.आई.सी. की वेबसाईट पर व जिला आबकारी अधिकारी/सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, कर्वी चित्रकूट से प्राप्त की जा सकती है। चयनित आवेदक 14 दिन के ला0फीस तत्काल ई–चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(राजेन्द्र यादव)
जिला आबकारी अधिकारी
चित्रकूट

01 july 2021
(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी/ला0प्राधिकारी
जनपद–चित्रकूट

संख्या :- 1053-55 /तद्दिनॉक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट एवं समस्त आबकारी निरीक्षक चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित समस्त कार्यवाही ससमय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक, ...को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान(13X13) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं भुगतान हेतु बिल जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट से सत्यापित कराकर उपलब्ध करावें।

01/07/2021
(राजेन्द्र यादव)
जिला आबकारी अधिकारी
चित्रकूट